



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24711

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 3375/2025

श्रीमती शशिबाला एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 32 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : योगेश कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : ब्रजेश शुक्ला, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"1) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (सेटलमेंट अधिकारी), बिजनौर को अपील संख्या 37 R.T./117 R.S.T. 202554113160000400 (श्रीमती निर्मला देवी बनाम पंकज चौधरी एवं अन्य) में याचिकाकर्ता द्वारा धारा 21(2) उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के तहत दायर पुनरुद्धार (रेस्टोरेशन) आवेदन दिनांक 23.06.2022, जो मौजा-हल्दौर, परगना-दारा नगर, तहसील व जिला-बिजनौर से संबंधित है और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (एस.ओ.सी.) बिजनौर/प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है, को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर तर्क दिया कि आपत्ति का निस्तारण बहुत जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। विद्वान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला-बिजनौर (प्रत्यर्थी संख्या 2) को निर्देशित किया जाता है कि वह

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार सख्ती से, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर तय करें।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

नीतू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"